कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
–: कार्यालयीन आदेश :–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27.09.2023

क्रमांक 154/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2023 :– छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र कमांक.एफ 1–18/2018/34–1, दिनांक 07.08.2018 से वित्त विभाग के जावक कमांक 597/ब–2, कम्प्यूटर कमांक–34–00683, दिनांक 20.07.2018 द्वारा अनुमति के परिपालन में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक 1669/स्था./दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से जारी विज्ञापन अनुसार छत्तीगसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 24.05.2019 को अनुरेखक की परीक्षा आयोजित की गयी थी। शासन का पत्र कमांक एफ 1–18/2018/34–1, दिनांक 11.01.2023 द्वारा वित्त विभाग के जावक कमांक 523/पं.क. 722/ब–2/वित्त/चार/2022 दिनांक 21.07.2022 द्वारा अनुरेखक के 10 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। **छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र कमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3, दि. 03.05.2023 द्वारा नियुक्तियों एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में जारी परिपत्र** के परिपालन में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 28.07.2023 को आयोजित चतुर्थ एवं दिनांक 18.08.2023 को पंचम कांउसिलिंग में अभ्यर्थियों की विहित अर्हता संबंधी दस्तावेजों का विभागीय छानबीन समिति द्वारा परीक्षण पश्चात् उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अनुरेखक के पद पर वेतनमान लेवल–04, रूपये 19,500–62,000 प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में सूची के नीचे में दर्शित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	चयनित श्रेणी	संयुक्त मेरिट सूची क.	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1.	नीलम यादव	श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव	अनारक्षित (महिला)	265	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र बिलासपुर।
2.	श्री राजेश कुमार मरकाम	श्री पुसऊ राम मरकाम	अजजा (मुक्त)	318	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोस्वायां, खण्ड सुकमा।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों पर मान्य होगी :–

1. अभ्यर्थी को पदस्थाप्ना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेय निरस्त मानी जायेगी।

2. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी अनुप्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एक माह के अंदर संबंधित कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त करना होगा, यदि पुलिस द्वारा दिये गये उनके चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीप/अपराधिक गतिविधियां पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
7. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित सेवा) की शर्ते तथा भर्ती नियम 2016 के नियम 18 अनुसार यह नियुक्ति परिवीक्षा अवधि पर होगी।
8. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 33/2023, कमांक 571/260/वि./नि./चार/2020, दिनांक 12.09.2023 में निहित प्रावधानुसार संबंधितों को छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किया जायेगा, परिवीक्षा अवधि में वेतन के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
10. किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तिकर्ता को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा) नियम, 1960 के नियम–12 (ए) के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम का न हो देना होगा।
11. अनुरेखक के पद पर वरिष्ठता मेरिट सूची के अनुसार होगी।
12. अभद्रपूर्ण व्यवहार या असंतोषजनक कार्य होने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
13. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

टीप :– राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी अनुरेखक के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र/1–3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 4177/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27.09.2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की जांच के पश्चात् की उपस्थिति मान्य की जावे एवं तत्संबंध में उपस्थिति अवधि के पश्चात् प्रमुख अभियंता कार्यालय को सूचित करें।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, सुकमा की ओर सूचनार्थ एवं कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की जांच के पश्चात् की उपस्थिति मान्य की जावे एवं तत्संबंध में उपस्थिति अवधि के पश्चात् प्रमुख अभियंता कार्यालय को सूचित करें।
6. संबंधित चयनित अभ्यथी (पंजीकृत डाक से) .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. कार्यालयीन आदेश।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर